सत्र परीक्षण सं0 485/14

सर/ कमल आदि
सत्र परीक्षण सं0 486/14
सर/ राहुल
सत्र परीक्षण सं0 487/14
सर/ प्रवीन

<u>**23.09.2016**</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त राहुल जिला कारागार से तलब होकर पेश किया गया है सह अभियुक्त कमल को जिला कारागार बुलन्दशहर में निरूद्ध होना कहा गया है जिसकी तलबी भेजी गयी है। सह अभियुक्त प्रवीण पुत्र लीला उर्फ प्रकाश उपस्थित नही है जबकि इसी सम्बन्ध में सत्र परीक्षण सं0 486 एवम 487/14 धारा 25 आर्म्स एक्ट समेकित है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पत्रावली दिनांक 22.8.2018 को जरिये कमिटल प्राप्त हुई और अभी तक अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित नही किया गया है।

<u>आदेश</u>

1. पत्रावली वास्ते बहस/आरोप व हाजिरी दिनांक 14.10.2016 को पेश हो।
2. नियत तारीख के लिए सह अभियुक्त कमल पुत्र लीला उर्फ प्रकाश जरिये वारंट बी जिला कारागार बुलन्दशहर से तलब हो।
3. अभियुक्तगण प्रवीन पुत्र लीला उर्फ प्रकाश निवासी ब्लाक के सामने वाली गली कस्बा दनकौर जिला गौतमबुद्धनगर जरिये गैर जमानती वारंट एवम उसके जमानतदार परमानन्द पुत्र राममहर निवासी ग्राम तालडा परगना दनकौर जिला गौतमबुद्धनगर व धर्मवीर सिंह पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम तालडा परगना दनकौर जिला गौतमबुद्धनगर के विरूद्ध नोटिस धारा 446 द0प्र0सं0 नियत तिथि के लिए जारी हो। लिपिक अनुपालन करे।
4. इस आदेश की एक–एक प्रति सत्र परीक्षण सं0 486/14 व 487/14 में भी रखी जाये।

विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी एक्ट
अपर सत्र न्यायाधीश, गौतमबुद्धनगर।